झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

विषयः- **विभागीय प्रोन्नति समिति के गठन हेतु नीति निर्देशक सिद्धांत तथा उसकी कार्य प्रणाली के निरूपण के संबंध में ।**

झारखंड लोक सेवा आयोग (कार्य-सीमन) विनियम, 2000 के नियम-7(ग) को ध्यान में रखते हुए कार्मिकों की नियुक्ति/प्रोन्नति के मामलों में त्वरित निर्णय लेने के उद्देश्य से राज्य सेवाओं/संवर्गों के कई स्तर के पदों, जिन पर प्रोन्नति के मामलों में झारखंड लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं होगा, उन पदों पर प्रोन्नति के निमित्त चयन/अनुशंसा करने हेतु ''विभागीय प्रोन्नति समिति'' का गठन और उनकी कार्य प्रणाली को निरूपित करने के संदर्भ में राज्य सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिया है :-

2(i)-झारखंड लोक सेवा आयोग (कार्य-सीमन) विनियम, 2000 के विनियम-7(ग) के उपबन्ध राज्य सेवाओं/संवर्गों के लिए है, अर्थात् राज्य सेवाओं/संवर्गों के बाहर के अन्य पदों, जहाँ आवश्यक हो, के संबंध में लोक सेवा आयोग से अनुशंसा प्राप्त की जायेगी । इसी प्रकार राज्य सेवाओं/संवर्गों के जिन पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति का मामला लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर नहीं किया गया है, उनके संबंध में लोक सेवा आयोग का परामर्श/अनुशंसा प्राप्त कर ही कार्रवाई की जायेगी ।

सुविधा हेतु झारखंड लोक सेवा आयोग (कार्य-सीमन) विनियम, 2000 के विनियम-7(ग) नीचे उद्धृत हैः-

''राज्य सेवा/कैडर के विभिन्न वेतनमानों के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति के मामलों में निम्न मामलों को छोड़कर लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगाः-

(i) राज्य सेवा/कैडर के बेसिक ग्रेड के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति के मामलों में,

(ii) विभाग प्रमुख के पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति के मामलों में, परन्तु यह अखिल भारतीय सेवा के मामलों में लागू नहीं होगा ।

(iii) सचिवालय एवं संलग्न/सम्मिलित कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त संवर्ग के सदस्यों के अवर सचिव एवं अन्य समतुल्य पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति के मामलों में,

(iv) सचिवालय के निजी सहायक संयुक्त संवर्ग के 'सचिव के सचिव' के पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति के मामलों में'' ।

2(ii)-विभागीय प्रोन्नति समितियों के गठन के प्रयोजनार्थ सरकार के विभागों को तीन (3) समूहों में विभक्त किया गया है, जो 'परिशिष्ट-क' के रूप में संलग्न है । प्रत्येक

समूह के विभागों के लिए अलग-अलग विभागीय प्रोन्नति समिति/समितियाँ गठित कर अलग-अलग संकल्प निर्गत किया जायेगा । सम्प्रति सभी विभागों के अधीन अलग सेवा/संवर्ग नहीं हैं । चूँकि कुछ ही विभागों के अधीन सेवा/संवर्ग हैं, अतः काल-क्रम में समूह के किसी विभाग के अधीन सेवा/संवर्ग गठित होने तंक संबंधित कार्मिकों की नियुक्ति/प्रोन्नति के मामलों में संबंधित समूह के लिये गठित विभागीय प्रोन्नति समिति राज्य सरकार को अनुशंसा देने के लिए सक्षम होगी । वर्त्तमान में विद्यमान राज्य सेवाओं/संवर्गों की सूची (यथा बिहार में गठित) निम्नवत् है:-

राज्य सेवाओं/संवर्गों की सूची

(क)राज्य सेवायें	(ख)राज्य संवर्ग
1. बिहार प्रशासनिक सेवा	1. बिहार नियोजन संवर्ग
2. बिहार पशुपालन सेवा	2. बिहार उत्पाद संवर्ग
3. बिहार सहकारिता सेवा	3. बिहार मत्स्य पालन संवर्ग
4. बिहार शिक्षा सेवा	4. बिहार भूतत्व संवर्ग
5. बिहार अभियंत्रण सेवा	5. बिहार उद्योग संवर्ग.
6. बिहार वित्त सेवा	6. बिहार खनन् संवर्ग
7. बिहार वन सेवा	7. बिहार सांख्यिकी संवर्ग
8. बिहार स्वास्थ्य सेवा	8. बिहार नगर निवेश संवर्ग
9. बिहार कारा सेवा	9. बिहार प्रशिक्षण संवर्ग
10. बिहार न्यायिक सेवा	10. सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों का संयुक्त संवर्ग
11. बिहार कृषि सेवा	11. सचिवालय के निजी सहायकों का संयुक्त संवर्ग
12. बिहार श्रम सेवा	
13. बिहार आरक्षी सेवा	
14. बिहार निबंधन सेवा	

नोटः- वर्णित सेवा/संवर्ग के पदाधिकारियों, कर्मचारियों का बिहार से अंतिम विभाजन के बाद उन्हें तदनुसार झारखंड की सेवा/संवर्गों में माना जायेगा (राज्य सेवाओं की सूची के क्रमांक-1 एवं 13 का संवर्ग विभाजन अंतिम रूप से से हो चुका है) ।

(ii) भविष्य में राज्य सेवा/संवर्ग के गठन पर उन्हें इसी सूची में समाविष्ट माना जायेगा ।

3- विभागीय प्रोन्नति समिति के लिए कोरम 4 सदस्यों का होगा ।

4- संबंधित प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष से तिथि एवं समय लेकर समिति के सदस्यों को बैठक की सूचना देना, बैठक के लिये टिप्पणी तैयार करना तथा अन्य

सभी कागजात जैसे स्वच्छता प्रमाण-पत्र, चारित्री आदि अद्यतन कर अध्यक्ष एवं सदस्यों को देने की जिम्मेवारी संबंधित प्रशासी विभाग की होगी । इसी प्रकार बैठक के बाद अध्यक्ष की अनुमति लेकर बैठक की कार्यवाही तैयार करना और उस पर अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का हस्ताक्षर प्राप्त करना भी प्रशासी विभाग की जिम्मेवारी होगी । विभागीय प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वे इस संबंध में अलग से आवश्यक मार्गदर्शन दे सकेंगे ।

5- प्रशासी विभाग की यह जिम्मेवारी रहेगी कि प्रत्येक पंचांग वर्ष में होने वाली रिक्तियों के विरूद्ध उसके पहले वर्ष के दिसम्बर तक विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा अगले वर्ष में प्रोन्नति देने के लिए एक पैनल तैयार कराये ताकि अगले वर्ष में होने वाली रिक्तियों के विरूद्ध समय पर प्रोन्नति का आदेश निर्गत किय जा सके ।

6- चूँकि वर्ष 2003 करीब तीन चौथाई बीतने को है और अभी प्रशासनिव सेवा एवं आरक्षी सेवा को छोड़कर शेष संवर्ग का अंतिम बँटवारा भी नहीं हुअ है, अतः वर्ष 2003 के लिये पैनल दिसम्बर, 2003 तक तैयार किया ज सकता है एवं वर्ष 2004 के लिए संभाव्य पैनल मार्च, 2004 तक तैयार किए जा सकता है ।

7- यह व्यवस्था तत्काल लागू होगा ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति राजकीय गजट प्रकाशित किया जाय ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(मुख्तयार सिंह)
सरकार के आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक-7/वि0वि0प0-62/2002का0 6147 रॉची दिनांक-7 नवम्बर, 2003 ई0 ।

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉची को झारखण्ड राजपत्र में प्रकाश करने हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि संकल्प की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासी सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रॉची को उपलब्ध कराने की कृपा करें

आयुक्त एवं सचिव ।